उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग-4

संख्या- 14/2015/324(1)/38-4-2015-57(विविध)/2014

लखनऊ: दिनांक: 24 मार्च, 2015

उत्तर प्रदेश के भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवेश के दृष्टिगत वर्तमान परिस्थितियों में मौलिक चिन्तन विकसित करने एवं उत्तर प्रदेश राज्य के ग्रामीण अंचलो में शिक्षा, स्वास्थ्य, अवस्थापना, जलापूर्ति तथा रोजगार आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रदेश का चतुर्मुखी विकास करने हेतु शासकीय योजनाओं में सहयोग करने और इनमें गति लाने की दृष्टि से मेसर्स एच0सी0एल0 फाउण्डेशन, नई दिल्ली द्वारा अपनी कार्पोरेट सोशल रिसपांसिबिलिटी **(Corporate Social Responsibility)** के अन्तर्गत "समुदाय परियोजना" का संचालन प्रस्तावित किया गया है। इस परियोजना में एच0सी0एल0 फाउण्डेशन द्वारा उत्तर प्रदेश के चयनित ग्राम समूहों के समग्र विकास के लिए राज्य की विकास योजनाओं में तकनीकी सहयोग आदि कार्य निष्पादित एम0ओ0यू0 **(Memorandum Of Understanding)** दिनांक 06.02.2015 के अन्तर्गत किया जायेगा। समुदाय परियोजना के लिए राज्य सरकार एवं एच0सी0एल0 फाउण्डेशन के मध्य निष्पादित एम0ओ0यू0 **(Memorandum Of Understanding)** में जनपद में नोडल अधिकारी की नियुक्ति, सम्बन्धित निर्देशों को जारी करना, डेटा कलेक्शन, योजनाओं में सुधार परियोजना हेतु वित्तीय संसाधन, ग्रामों का चयन तथा उत्तरदायित्व निर्धारण आदि वर्णित है।

2- उपर्युक्त कार्यो की समीक्षा एवं क्रियान्वयन के लिए जनपद स्तर पर **प्रोजेक्ट को-आर्डिनेशन कमेटी (Project Co-ordination Committee)** गठित किये जाने का निम्नवत् निर्णय लिया गया है:-

(1)	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
(2)	मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
(3)	जिला विकास अधिकारी	सदस्य
(4)	परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य अभिकरण,	सदस्य
(5)	जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य
(6)	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
(7)	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
(8)	जिला कृषि अधिकारी	सदस्य
(9)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
(10)	उपायुक्त (श्रम/स्वत: रोजगार)	सदस्य
(11)	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
(12)	जिला पूर्ति अधिकारी	सदस्य
(13)	जिला वैकल्पिक अधिकारी	सदस्य
(14)	जिला मत्स्य अधिकारी	सदस्य
(15)	जिला पशुधन अधिकारी	सदस्य
(16)	जिला कार्यक्रम अधिकारी	सदस्य
(17)	अधिशाषी अभियन्ता, जल निगम	सदस्य
(18)	सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य
(19)	जनपद स्तर पर समुदाय परियोजना के लिये नामित अधिकारी	सदस्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(20) एच0सी0एल0 फाउण्डेसन द्वारा नामित प्रतिनिधि सदस्य

3- प्रोजेक्ट को- आर्डिनेशन कमेटी की बैठक माह में एक बार अथवा कमेटी द्वारा निर्धारित समयान्तराल पर आहूत की जायेगी।

आलोक रंजन
मुख्य सचिव।

संख्या-14/2015/324**(1)/38-4-2015, तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3- आयुक्त, ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4- निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5- श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव ट्रस्टी, एच0सी0एल0 फाउण्डेशन 806 सिद्वार्थ 96 नेहरू प्लेस नई दिल्ली ।
6- सम्बन्धित जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश ।
7- सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी।
8- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अरूण सिंघल)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।